विचार बिन्दु

मैंने कर्म से ही अपने को बहुगुणित किया है। –नेपोलियन

वृद्धजनों को सहारा देने पर सोचने का समय आ गया

हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां वर्तमान में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया की आबादी में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर के स्थान पर अब निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की प्रवृत्ति देखी जा रही है जिसका परिणाम वृद्धजनों की संख्या और अनुपात में बहुत वृद्धि के रूप में सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि सभ्यता के इतिहास में ऐसी तीव्र, विशाल और सर्वव्यापी वृद्धि पहले कभी नहीं देखी गई। उसने अनुमान लगाया है कि दुनिया भर में 60 वर्ष की उम्र के लगभग 60 करोड़ व्यक्ति हैं जिनकी संख्या 2050 तक दो अरब तक हो जाने की संभावना है। इनमें से अधिकतर लोग विकासशील देशों के होंगे। जैसे-जैसे भारत अगले 7 वर्षों में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के करीब पहुंच रहा है इस देश में बढ़ती उम्र के लोगों के बारे में गंभीर चिंता करना और उस पर विमर्श करना जरूरी हो गया है। कुछ अध्ययनों के अनुसार, भारत पहले की तुलना में बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है और 2050 तक उसकी 60 वर्ष और उससे अधिक के लोगों की आबादी कुल आबादी का लगभग 20 प्रतिशत तक हो सकती है। सरकार ने हाल ही में संसद में कहा था कि भारत में 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 34 करोड़ लोग होंगे जो अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक होंगे। यह संख्या संयुक्त राष्ट्र और हेल्पएज जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अनुमानित संख्या से भी अधिक है। एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि 2050 तक भारत में 60 से अधिक की आबादी बढ़कर लगभग 32 करोड़ हो जाएगी।

लोकसभा में बताया गया कि 0-14 की आबादी की वृद्धि दर धीमी हो रही है, लेकिन देश में वृद्ध लोगों की आबादी बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश खो सकता है। भारत के सामने दोहरी चुनौती खड़ी होने वाली है। एक ओर बढ़ती आबादी की जिसके लिये शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करने की चुनौती होगी तो दूसरी तरफ वृद्धों की बढ़ी हुई आबादी की देखभाल की बड़ी चुनौती होगी क्योंकि परंपरागत संयुक्त परिवारों के टूटने से उसका सहारा घटता जा रहा है।

हाल ही की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह में हमेशा के लिए बने रहने के लिए भारत के पास अब केवल 10 वर्षों का सीमित समय है। वर्तमान में भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश की ताकत वास्तव में 2030 तक भारत के नुकसान में बदल सकती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ;इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2017; पहले ही चेता चुकी है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा 2015 के 8 प्रतिशत से बढ़कर 2050 में 19 प्रतिशत हो सकता है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2000-2050 के दौरान, भारत की कुल जनसंख्या में 56 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि 60 से अधिक की आबादी में 326 प्रतिशत और 80 से अधिक आयु वर्ग में 700 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए बनी समिति के अनुसार दुनिया में वृद्धों की कुल आबादी का 1/8 प्रतिशत हिस्सा भारत में है। भारत में वृद्धों के लिए अलग से नीति 1999 में तब बनी जब उस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पास कर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजनों के वर्ष रूप में मनाने का तय किया। यह भी सच है कि भारत के संविधान की धारा 41 वृद्ध जनों के कल्याण का भरोसा दिलाती है। यह धारा कहती है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं में वृद्धजनों को लोक सहयोग (सरकारी मदद) दिलाने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। मगर हमारे यहां इस प्रावधान पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि भारतीय समाज में पुरातन काल से वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार व्यवस्था में अति सुरक्षित रही है। लेकिन ज्यों-ज्यों देश में पश्चिम की अवधारणा वाली विकास की व्यवस्था अपनाई जाने लगी और 90 के दशक में पूंजीवादी आर्थिक नीतियों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया तब से नई अर्थ व्यवस्था के प्रभाव से हमारे यहां संयुक्त परिवारों का विखंडन भी शुरू हो गया और घरों में वृद्धों की सत्ता समाप्त होने लगी और नई पीढ़ी के लिए वे आर्थिक रूप से अनुपयोगिता ही नहीं हो गए बल्कि आर्थिक बोझ भी बन गए। इसी के चलते वृद्धों की देखभाल के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्योंकि यह समस्या पश्चिमी सभ्यता की देन है और जिसके लिए भारतीय सभ्यता की कोई तैयारी नहीं थी इसलिए वृद्धों के कल्याण के लिए पश्चिम के रास्ते का विकल्प ही चुना जा रहा है। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं सूझता। भारतीय परिवार और समाज में पहले वृद्धों का ऊंचा स्थान हुआ करता था क्यों कि उनके पास अनुभव होता था जिसका लाभ नई पीढ़ी को मिलता था। वृद्धजन तब तक के संचित ज्ञान को आगे की पीढ़ी को पहुचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसीलिए वे समाज में अपना विशेष अर्थ रखते थे। मगर आज के दौर में जब आधुनिक यंत्र तकनीक और पूंजीवाद की लालच वाली विचारधारा जिसमें जीतने के लिए सब जायज होता है और जिसमें दौड़ने और गला काट प्रतिस्पर्धा की शक्ति का ही मोल होता है वृद्धजनों की वैसी उपयोगिता नई पीढ़ी के लिए नहीं रह गई है। नैतिकता और मानवीय रिश्तों को अपने लाभ पर तरजीह देने वाली पीढ़ी के लिए वृद्धजनों को संभालने के लिए फुरसत नहीं है। ऐसे में वृद्धजनों की ज़िम्मेदारी निभाने का संवैधानिक दायित्व राज्य पर आ पड़ा है। वृद्धजन अपने जीवन के संध्याकाल में उपेक्षित न रहें और उनके लिए रोटी पानी का इंतजाम हो, उनके स्वस्थ्य की देखभाल हो और सबसे बढ़ कर उन्हें भावनात्मक मदद मिले जिससे अपने को एकाकी नहीं महसूस करें इसी पर राज्य के नीति निर्माताओं को सोचना है और व्यवस्थाएं करनी होगी। अपने माता-पिता को नहीं संभालने वालों को कानूनी रूप से बाध्य करने और ऐसा नहीं करने वालों के लिए सजा के प्रावधान करके राज्य को अपने काम की इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिये। नीति निर्माताओं को इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा कि कैसे वृद्धों को अपने परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाये। यह केवल कानून से नहीं हो सकता। हमारी सारी पढ़ाई लिखाई में परिवार के रिश्तों की, छोटों और बड़ों के बीच के सम्बन्धों की और परिवार और समाज के भारतीय विचार का कोई पाठ नहीं होता। शिक्षकों और छात्रों के बीच भी अब सिर्फ सेवा प्रदाता और उपभोक्ता वाला व्यावसायिक रिश्ता हो चला है। गुरु शिष्य की परंपरा तिरोहित हो चुकी है। इसीलिए हम देखते हैं कि वृद्धजनों के कल्याण की नीतियां बनाते हुए हमारे नीति निर्माता कभी वैसा भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते जिसमें भारत की माटी की गंध हो। उनके लिए उद्योगों के लिए कोई नीति बनाने और वृद्धजनों के लिए नीति बनाने में कोई फर्क नहीं होता। नीति निर्माताओं को अर्थ से सारी समस्याएं सुलझा लेने के पश्चिमी देशों के मंत्र के अलावा कुछ नहीं सूझता। उनके लिए विकास की अवधारणा में सिर्फ कामकाजी आबादी आती है। नीति निर्माता यह भूल जाते हैं कि कामकाजी आबादी के लिए वे जो तथाकथित संपन्नता या विकास ला रहें हैं वह उस पीढ़ी से भेदभाव करती है जो उम्र के उस पढ़ाव पर है जहां वे काम करने में अशक्त हो चले हैं। जहां एक तरफ नई पीढ़ी की आय बढ़ती है वहीं दूसरी तरफ मंहगाई बढ़ती है। बढ़ी आय से नई पीढ़ी तो मंहगाई से पार पा लेती है मगर वृद्धजन जिनके पास अपनी संचित जमा पूंजी के अलावा आय का कोई साधन नहीं होता वह सबसे अधिक परेशानी में हैं।

नयी सदी के मध्य तक वृद्धजनों को परिवारों से नहीं राज्य से सहारा पाने की आवश्यकता होगी जिसके लिये नीति निर्माता यदि उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होंगे तभी इस नई पैदा हो रही समस्या का हल हम अपने सांस्कृतिक परिवेश में खोज सकेंगे। वही श्रेयकर होगा।

पहले निराश्रित गरीब वृद्धों के लिए सरकारी पेंशन जैसी योजनायें बनी और फिर बच्चों पर कानूनी बाध्यता डाली गयी कि वे अपने वृद्ध माता - पिता की समुचित वित्तीय मदद करेंगे और यदि वे अपने माता-पिता को शारीरिक तकलीफ देते हैं या उनकी उचित देखभाल नहीं करते हैं तो उन्हें सजा हो सकती है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़रूरत आधारित अनुरक्षण तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दिसम्बर 2007 में ऐसा कानून बनाया गया। भारत सरकार ने वृद्धजनों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए जनवरी, 1999 में पहली राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की थी। इस नीति में वृद्धजनों की वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, आवास तथा अन्य ज़रूरतें, विकास में बराबर की हिस्सेदारी, दुर्व्यवहार एवं शोषण से सुरक्षा तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की सहायता पर बल दिया गया। इसके अलावा सरकार ने एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम भी बनाया है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में गैरसरकारी संगठनों के माध्यम से 1992 से वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें, विशेष रूप से आवास, भोजन एवं अभाव ग्रस्त वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखरेख जैसी आवश्यकता पूरी करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की बात की गई है। मगर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कमीनी स्तर पर हश्र हम रोज देखते हैं।

नयी सदी के मध्य तक वृद्धजनों को परिवारों से नहीं राज्य से सहारा पाने की आवश्यकता होगी जिसके लिये नीति निर्माता यदि उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होंगे तभी इस नई पैदा हो रही समस्या का हल हम अपने सांस्कृतिक परिवेश में खोज सकेंगे। वही श्रेयकर होगा।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

भूलना कोई बुरी बात नहीं है, अवसादग्रस्त न हों यही बेहतर है

आपने अकसर लोगों को यह कहते सुना होगा की चीजें याद नहीं रहती और भूल जाते हैं । यह समस्या बुजुर्गों में अकसर पाई जाती हैं लेकिन स्कूल विद्यार्थी या कॉलेज विद्यार्थियों भी जब यह शिकायत करते हैं चिंता भी होगी। यद्यपि मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य को बहुत अधिक अवांछित और अनावश्यक सूचनाएं अपने मस्तिष्क में नहीं भरनी चाहिए । जैसे मनुष्य अपने घर की सफाई के बाद कचरा पात्र साफ करके रखता है लगभग वैसी ही स्थिति मस्तिष्क के साथ भी होनी चाहिए। क्या यह संभव है कि मनुष्य जिन चीजों को एक बार याद कर ले उन्हें भूल जाए या अपनी अक्ल से साफ कर दे हटा दे । हां विज्ञान के धरातल पर यह प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य सप्रयास सावचेत रह कर उन चीजों से विमुख हो सकता है जिन चीजों की आवश्यकता याद रखने की दृष्टि से महसूस नहीं करता। पुरानी यादों से जीवन में मुक्ति का एक ही सरल उपाय है वह है यादों को धो-पौंछ कर साफ कर देना। मनुष्य ने यादों को भुलाने के लिए बहुत कम प्रयत्न किया है। यही कारण है कि गाहे-बगाहे मनुष्य जो कुछ व्यतीत हो चुका है उसे याद करते हुए बहुत सी चीजें ऐसी अपने मस्तिष्क में जमा कर लेता है जो उसे उद्वेलित करती हैं तनाव देती हैं और कई बार ये सब मिलकर संघर्ष का कारण बन जाती हैं । बहुत बार मनुष्य अतीत की यादों में खोकर निराश होने के बाद अवसाद का शिकार भी हो जाता है।

हमारे साथ अकसर ऐसा होता है कि हम कई बार चीजें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। दरसअल हम पल प्रतिपल हजारों विचारों की तरगों से गुजरते हैं। हम रोजाना बहुत सी चीजें देखते, पढ़ते और नोटिस करते हैं, लेकिन हर चीज को लंबे समय तक याद नहीं रह पाती कारण इनमें से अधिकांश बातें या तो सूचनात्मक होती हैं या तथ्यात्मक । हमारा मष्तिष्क स्वयं अपनी छलनी से ऐसी सारी अवांछित सामग्री को हटाता चलता है । यही वजह है कि ये चीजे कुछ समय बाद ही हमें याद नहीं रहती। तो इस बात को लेकर चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है ।

जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगेथस ने स्मृति और इसके मैकेनिज्म पर स्टडी की है । इस स्टडी के लिए अनुसार किसी भी नई चीज को सीखने के 1 घंटे के अंदर हम सीखी हुई बातों में आधी चीजें भूल जाते हैं। किसी भी चीज को सीखने के एक दिन बाद हमें सिर्फ 30 प्रतिशत चीजें याद रहती हैं।

वास्तव में हमारा दिमाग़ भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह है। जिस तरह हार्ड डिस्क पर जमा हो गयी सूचनाओं को समय-समय पर मिटाना पड़ता है, उसी तरह दिमाग़ को भी समय-समय पर सफ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम भूल जाना कहते हैं। भूलना मानवीय समस्या नहीं है यह

राजेन्द्र मोहन शर्मा

स्वाभाविक और ज़रूरी प्रक्रिया भी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कुछ भूल जाना मस्तिष्क के लिए कोई दूसरी चीज़ याद रखने की शर्त है।

यदि हम सब कुछ याद रखने लगे, तो दिमाग़ का सारा स्मरण-भंडार दो ही दिनों में भर जायेगा। हमारा शरीर आँख और कान जैसी हमारी इंद्रियों के द्वारा आस-पास की सूचनाएं ग्रहण करता है और मस्तिष्क उन्हें केवल क्षणभर के लिए अपनी याददाश्त में जगह देता है। मस्तिष्क ऐसी सूचनाओं को तब एक बार और छानता है और उन्हे अल्पकालिक स्मृति भंडार में डाल देता है. वहाँ वे 18 से 20 सेकंड तक रहती हैं। यदि इन सूचनाओं पर हम अलग से ध्यान नहीं देते, तो उन्हें भूल जाते हैं।

■ कुछ भूल जाना मस्तिष्क के लिए कोई दूसरी चीज़ याद रखने की शर्त है

इस वाक्य खण्ड में एक अतिमहत्वपूर्ण तथ्य आया है 'ध्यान नहीं देते'। स्पष्ट है आप उन घटनाओं, सूचनाओं, तथ्यों को इसी कोष्ठक में धकेल दें जो आपको हैरान परेशान करती हैं निराश करती हैं। यह विस्मृति आपके लिए एक बेहतरीन उपहार है इससे परेशान कतई न हों ।

आपने अनुभव किया होगा जब हम कोई बात ध्यान से नहीं सुनते या सुनते समय कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, तब भी सब कुछ जल्द ही भूल जाते हैं। हमारा दिमाग़ हमेशा अपने स्पेस की बचत करने में लगा रहता है ।

हमारे दीर्घकालिक स्मृति-भंडार में हमारी जीवन-यात्रा की यादें जमा रहती हैं । किसी याद को दीर्घकालिक स्मृति-भंडर में तभी जगह मिलती है, जब उसने दिमाग़ पर गहरी छाप डाली हो, उसे गहराई तक या लंबे समय तक कुरेदा हो। ऐसा इसलिए, ताकि वे आनन्ददायक अनुभव या झकझोर देने वाली अन्य भावानुभूतियां दिमाग़ में कहीं तेज़ उद्दीपन पैदा करती हैं। हम जो कुछ आज भूल गये हैं वह भी दिमाग़ में कहीं-न-कहीं सोया पड़ा है वह पहले धुंधला पड़ जाता है और फिर ग़ायब हो जाता है । भुलक्कड़पन की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है, दिमाग़ को व्यस्त रखना। उसमें ऐसी जानकारियां ठूंसते रहना, जिनके बीच दिमाग़ कोई संबंध, कोई तारतम्य जोड़ सके। कितनी विचित्र बात है कि भुलक्कड़ी के विरुद्ध सबसे कारगर दवा है, दिमाग़ में खूब नयी-नयी जानकारियां भरते रहना। भूल जाना आमतौर पर लोगों के लिए फायदेमंद ही साबित होता है। यह व्यवहार को अधिक लचीला बनाने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है लेकिन स्मरण रहे कि बीमारी के कारण खोई हुई यादों को बहाल करना संभव हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारी होने पर भूलने की प्रक्रिया हाईजैक हो जाती है।

यह समाज ,व्यक्ति और राष्ट्र सभी की सेहत के लिए बेहतर है कि तनाव और संघर्ष पैदा करने वाली अतीत की सारी गलियों को बन्द कर ही देना चाहिए। आज की नौजवान पीढ़ी के लिए तो और भी जरूरी है कि वे वाहयात बातें पक्की तौर पर भूल ही जाएं। आपके सामने भविष्य की लम्बी उम्मीदें खड़ी हैं आप अपनी कड़वी यादों सें आगत क्योंकर बोझिल बनाऐं। बुरी यादों की बदन पर लगी धूल की तरह झाड़ कर आगे बढ जाइए यही सब के लिए बेहतर है।

राजेन्द्र मोहन शर्मा,
साहित्यकार, शिक्षाविद
एवं चिन्तक

चंदन कलाकार जांगिड़ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

चूरू, (कासं)। चूरू के चंदन कलाकार ओमप्रकाश जांगिड को नई दिल्ली विज्ञान भवन में सोमवार को कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने शॉल, ताम्र पत्र एवं एक लाख रुपए नकद राशि प्रदान कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ओमप्रकाश जांगिड़ को हस्तशिल्प एवं वस्त्र मंत्रालय द्वारा चंदन की तलवार बनाने पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। जांगिड़ ने चंदन की तलवार पर श्री कृष्ण लीला को आकर्षक रूप से उकेरा था। जांगिड़ पूर्व में भी एक बार राष्ट्रीय स्तर एवं दो बार राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर चंदन पर नक्काशी के लिए सम्मानित हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि जांगिड़ के दादाजी चंदन कलाकार मालचंद को सन् 1971 उनके पिताजी नोरतमल को सन् 2005 में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। जांगिड़ के पुत्र राहुल एवं मनीष भी चंदन पर नक्काशी के सिद्धहस्त शिल्पकार हैं।

डीडवाना परिवहन कार्यालय एजेंटों की गिरफ्त में

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना जिला परिवहन कार्यालय इन दिनों पूरी तरह से एजेंटों की गिरफ्त में हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या कोई और काम अगर आप एजेंट के पास नहीं गए तो आपका कोई काम नहीं होगा। डीडवाना जिला परिवहन कार्यालय के बाहर एजेंट बड़े-बड़े कार्यालय खोलकर बैठे हैं और उनके पास जाते ही आपका काम सुगमता से हो जाएगा वरना इस काम में कोई न कोई कमी निकाल दी जाती है। इससे आमजन आसानी से अपना काम नहीं करवा सकते। कहने को तो एक ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल फीस 1350 रुपए है जो यह सरकार द्वारा तय राशि है लेकिन अगर किसी को डीडवाना डीटीओ ऑफिस से लाइसेंस बनवाना है तो उसको एजेंटों को 2500 से लेकर 3000 हजार रुपए तक देने पड़ सकते हैं।

जानकारी में यह भी आया है कि एजेंट से लाइसेंस बनवाने पर आपको ड्राइविंग नहीं भी आए तो आपका लाइसेंस बन जायेगा क्योंकि इस एजेंट्स ने ऑटो ड्राइविंग ट्रेक ऑपरेटर से साठ गांठ कर रखी है। जानकारी तो यह भी है कि अगर ऑटो ड्राइविंग ट्रेक ऑपरेटर को सुविधा शुल्क अदा नहीं किया जाए तो आप कितने भी बड़े ड्राइवर हों लेकिन आप इस ट्रैक पर फेल ही होंगे। प्रदेश में बढ़ते सडक हादसों को रोकने के लिए प्रदेश के जिला परिवहन कार्यालयों में ऑटो ड्राइविंग ट्रेक बनवाए गए थे ताकि प्रशिक्षित

■ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के 1350 की जगह एजेंटों को 2500 से लेकर 3000 रुपए देने पड़ सकते हैं

■ परिवहन कार्यालय के बाहर एजेंट बड़े-बड़े कार्यालय खोलकर बैठे हैं

ड्राइवर ही ड्राइविंग लाइसेंस ले सकें लेकिन सरकार की यह स्कीम यहां बेमानी साबित हो रही है और अप्रशिक्षित ड्राइवर भी यहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है की जिला परिवहन कार्यालय के कैम्पस में ही ड्राइविंग ट्रेक बना हुआ है और यहां ट्रेक पर यह धांधली की जाती है लेकिन जिला परिवहन अधिकारी इससे अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं । जिला परिवहन अधिकारी से जब हमने इस बारे में जानकारी ली तो उनका कहना था कि मेरे पास ऐसे शिकायत पहली बार आई है। जबकि कार्यालय में आने वाली सभी फाइलों पर प्रत्येक एजेंट का कोड लिखा आता है और अगर कोड मार्किंग नहीं हो तो वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ती।

सीनियर स्कूल में बच्चों के बर्तन धोने की जानकारी पर भड़कीं एसडीएम

श्रीगंगानगर, (निसं) जिले के रायसिंहनगर में एसडीएम भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी गुंजनसिंह ने गांव लिखमेवाला के गवर्नमेंट सीनियर सैकंडरी स्कूल की व्यवस्थाएं देखीं। एसडीएम गुंजन सिंह स्कूल में पहुंचते ही सीधे कक्षाओं में गईं। बच्चों से कई सवाल किए। जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि मिड डे मील के बाद बर्तन कहां रखते हैं तो उनका जवाब सुनकर एसडीएम भड़क गईं। जब बच्चों ने बताया कि वे खुद ही बर्तन साफ करते हैं तो एसडीएम ने तुरंत प्रिंसिपल को नोटिस जारी करने की बात कही।

■ प्रिंसिपल को नोटिस के आदेश, रजिस्टर नहीं मिलने पर जताई नाराजगी

जब एसडीएम ने प्रिंसिपल से अटेंडेंस और एमडीएम स्टोरेज रजिस्टर मांगा तो वे उपलब्ध नहीं करवा पाए। इस पर उन्होंने जबर्दस्त नाराजगी जताई। इसके बाद एसडीएम ने ग्राम पंचायत थांदेवाला, संगराना और कंवरपुरा के ग्राम विकास अधिकारी अमित बिश्नोई के अनुपस्थित पाए जाने पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए । उन्होंने उपखंड के प्रोग्रामर को समस्त ई मित्र के कर्मचारियों की बैठक लेकर योजनाओं से संबंधित पोस्टर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश जारी करने के लिए कहा। उन्होंने गजसिंहपुर उप तहसील का निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने रिकॉर्ड का संधारण करने के निर्देश दिए।

जेल में बैठे मजदूर की मनरेगा में लगा दी हाजिरी, भुगतान भी हो गया

धौलपुर, (निसं)। गरीब व मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई मनरेगा योजना योजना को भी अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का बड़ा जरिया बना लिया है।

ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत फरासपुरा के गांव कमरियन का पुरा में सामने आया है। भ्रष्टाचारियों का दुस्साहस देखिए कि यहां का एक नरेगा मजदूर इन दिनों जेल में बंद हैं लेकिन नरेगा कार्य में मेट और सेक्रेटरी ने मिलीभगत से बाकायदा उसकी उपस्थिति दर्ज कर रखी है और उसके नाम से पेमेंट भी कर दिया गया।

मामला यूं है कि धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस ने 10 नवंबर 2022 को श्याम सिंह पुत्र चोब सिंह ठाकुर निवासी कमरियन का पुरा ग्राम पंचायत फरासपुरा को गिरफ्तार किया था। जो कि अवैध चंबल रेता के मामले में फरार चल रहा था। जिस पर धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह की ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित था। जिसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया, जो वर्तमान में भी जिला

दिहोली थाना पुलिस ने अवैध रेता खनन में 10 नवंबर को गिरफ्तार किए आरोपी।

जेल धौलपुर में बंद है। जबकि सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जो मस्टरोल दर्ज है उसमें श्याम सिंह को नरेगा कार्य में 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बाकायदा उपस्थित दिखाया गया है। जिसके बदले उसे बाकायदा भुगतान भी किया गया है।

इस मामले में जब ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हीरालाल से बात करने के लिए कॉल किया और उनसे सवाल पूछा कि जब श्याम सिंह जेल में है तो नरेगा कार्य में उसकी उपस्थिति कैसे दर्ज है, तो वे बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद उनसे पूछा गया कि ऐसा हुआ है और उसका दस्तावेज हमारे पास है तो उन्होंने कॉल काट दिया। जब उन्हें दोबारा कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वही

■ सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज मस्टरोल में श्याम सिंह को 11 से 15 नवंबर तक नरेगा में उपस्थित दिखाया गया है

इस मामले में धौलपुर जेल के अधीक्षक राम अवतार शर्मा ने बताया कि श्याम सिंह फिलहाल जिला कारागार धौलपुर में बंद है।

वहीं इस मामले में विकास अधिकारी राकेश सिंघल का कहना है कि ऐसा मामला है तो जांच करवाएंगे। जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत फरासपुरा में भ्रष्टाचार और घपले बाजी की सभी सीमाएं पार होती नजर आ रही हैं। जेल में बंद जिस श्याम सिंह को नरेगा कार्य में एससी वर्ग का दिखाया गया है वह हकीकत में जाति से ठाकुर है, जो कि सामान्य वर्ग में आता है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 30 नवम्बर, 2022

मार्गशीष मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2079, धनिष्ठा नक्षत्र प्रात: 7:11 तक, व्याघात योग दिन 12:01 तक, वणिज करण प्रात: 8:59 तक, चन्द्रमा कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-वृष, बुध-वृश्चिक, गुरू-मीन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज राजयोग प्रात: 7:11 तक है। भद्रा प्रात: 8:59 से रात्रि 8:10 तक रहेगी। आज नरसी मेहता जयन्ती और पंचक है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:38 तक, शुभ 10:57 से 12:15 तक, चर 2:52 से 4:10 तक, लाभ 4:10 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:02, सूर्यास्त 5:29

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित योजना बनेगी। उचित परामर्श मिल सकता है। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धन प्राप्त होगा। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
व्यक्तिगत-पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद दूर हो सकते हैं। परिजनों से आवश्यकता पर पर्याप्त सहयोग मिल सकता है। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मकर
व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

मीन
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य पर धन खर्च हो सकता है। आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।